

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा0पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/63/2023	2023/447	29.03.2023	04.07.2023

1. उदयवीर पुत्र शेरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम नायसराना तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. ललाराम पुत्र श्योकरण जाति अहीर निवासी ग्राम नायसराना तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
2. राजाराम पुत्र श्योकरण जाति अहीर निवासी ग्राम नायसराना तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
3. रोहिताश पुत्र श्योकरण जाति अहीर निवासी ग्राम नायसराना तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
4. उप पंजीयक नीमराना जिला अलवर राज0।
5. तहसीलदार नीमराना जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुत्तकिल

उपस्थित:-

01. श्री विनोद कुमार यादव
02. श्री मनीष कुमावत



—वकील प्रार्थी
—वकील अप्रार्थी सं0 1

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुत्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी उदयवीर बनाम लालाराम वगै0 वाद सं0 446/2022 को किसी दीगर न्यायालय में मुत्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभय-पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना में एक राजस्व वाद सं0 446/2022 उनवानी प्रकरण उदयवीर बनाम लालाराम वगै0 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए विचाराधीन है। जिसमें तारीख पेशी दिनांक 05.04.2023 नियत है। दिनांक 09.11.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण की तलवी के आदेश है। जिसमें केवल अप्रार्थी सं0 1 द्वारा दिनांक 27.03.2023 को जवाब पेश किया गया है। अभी तक अप्रार्थी सं0 2 लगा0 5 की ओर से जवाब दावा पेश नहीं किया गया है तथा वाद प्रारम्भिक स्टेज पर है। किन्तु पीठासीन अधिकारी उक्त वाद को अति शीघ्र सुनवाई कर वाद को निस्तारण करने पर उतारू है। दिनांक 27.03.2023 को पीठासीन अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि आगामी पेशी पर टी0आई0 बहस सुनकर फैसला किया जावेगा। अप्रार्थी सं0 1 गांव में खुले आम कहता फिर रहा है कि वह एक दो पेशी में दावे को खारिज करवा देगा और स्टे भी खारिज करवा देगा। क्योंकि उसने किसी राजनेता से पीठासीन अधिकारी पर दबाव डलवा दिया है और पूरी सांठगांठ बैटाली है। अप्रार्थी सं0 1 को दिनांक 27.03.2023 को पेशी को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में भी जाते देखा और करीब 15-20 मिनट बाद चैम्बर से वह वापस आया और हंसते हुए मिन प्रार्थी को कहा कि देख क्या रहा है। तेरा वाद तो चुटकी में खारिज करवा दूंगा तथा इसके बाद उसने गांव में प्रार्थी के साथ झगडा भी किया। इसलिए मिन प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः श्रीमान से

जिला कलक्टर, अलवर

निवेदन है कि उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विचाराधीन राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायालय में मुत्तकिल फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थी सं० 1 ने दौराने जवाब/बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पेश मुत्तकिल प्रा०पत्र स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी नीमराना में विचाराधीन वाद को अन्य किसी भी न्यायालय में मुत्तकिल किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी ने अपने जवाब/टिप्पणी पेश कर अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा पेश मुत्तकिल प्रा०पत्र मनघडन्त रूप से पेश किया गया है। जबकि वाद में तारीख पेशी दिनांक 22.12.2022, 16.02.2023, 27.03.2023, 05.04.2023, 17.05.2023 दी गयी। अतः उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली एवं उभय-पक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायालय में मुत्तकिल किये जाने हेतु अनापत्ति जाहिर की है। उक्तानुसार प्रथमदृष्ट्या प्रा०पत्र मुत्तकिल स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा०पत्र मुत्तकिल स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी उदयवीर बनाम लालाराम वगै० वाद सं० 446/2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ में मुत्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी नीमराना को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2023 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



20/7/2023
(पुखराज सेन)
जिला कलक्टर अलवर
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)